भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1047

02.12.2024 को उत्तर के लिए

ईपीआर दिशानिर्देश

1047. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रमुख प्रदूषकों की निम्न पंजीकरण दरों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ख) सरकार पुनर्चक्रण क्षेत्र में धोखे से प्रमाणपत्र तैयार करने से किस प्रकार रोकेगी और किस प्रकार जवाबदेही सुनिश्चित करेगी तथा जाली प्रमाणपत्र सृजित करने के लिए प्रदूषकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) ईपीआर फ्रेमवर्क से शहरी स्थानीय निकायों और अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को बाहर रखे जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन अभिकरणों और अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहगों की सहायता करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे और उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा;

(घ) उत्पाद मानकीकरण के माध्यम से पुनर्चक्रण क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और सरकार किस प्रकार प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होने की सही सूचना सुनिश्चित करेगी;

(ङ) सरकार द्वारा ईपीआर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्लास्टिक की समस्या से निपटने और ईपीआर ढांचे को सहायता प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दों के समाधान के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अंतर्गत शामिल किए गए अपशिष्ट के विभिन्न वर्गों के पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों (पीआईबीओ) की संख्या नीचे दी गई है।

अपशिष्ट के वर्ग	ईपीआर के तहत पंजीकृत उत्पादक
प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट	44,659
ई-अपशिष्ट	7050
बैटरी अपशिष्ट	2933
अपशिष्ट टायर	179
प्रयुक्त तेल	8

प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, अपशिष्ट टायर और प्रयुक्त तेल के अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को ईपीआर व्यवस्था के तहत पंजीकरण से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। इसके अलावा, प्लास्टिक पैकेजिंग के ईपीआर दिशानिर्देश, सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी को पीआईबीओ और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं (पीडब्ल्यूपी) की संपरीक्षा करने की अनुमति देते हैं। ईपीआर प्रमाण पत्र पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा संबंधित केंद्रीकृत ऑनलाइन ईपीआर पोर्टलों पर अपलोड किए जाते हैं।

नियमों के अंतर्गत सीपीसीबी अथवा नामित एजेंसी के माध्यम से पीआईबीओ का निरीक्षण और आवधिक संपरीक्षा करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी द्वारा निरीक्षण और आवधिक संपरीक्षा के माध्यम से पीडब्ल्यूपी के अनुपालन का सत्यापन किया जाता है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत पीडब्ल्यूपी और पीआईबीओ के मामले में सीपीसीबी, यदि आवश्यक हो, तो एसपीसीबी या पीसीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।

इसके अलावा, पीआईबीओ द्वारा वार्षिक रिटर्न, जिसमें उन्हें पैकेजिंग कच्चे माल की खरीद और बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग की रिपोर्ट करना अनिवार्य है, दाखिल करके प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाती है।

ईपीआर बाजार आधारित तंत्र पर निर्भर करता है, जिसमें पुनर्चक्रणकर्ता अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं सहित अपशिष्ट संग्रहण में शामिल एजेंसियों से अपशिष्ट की सोर्सिंग के लिए अपना तंत्र विकसित करते हैं और पुनर्चक्रण के बाद उनके द्वारा तैयार किया गया ईपीआर प्रमाण पत्र, बाध्य संस्थाओं यानी पीआईबीओ द्वारा खरीदे जाते हैं।

ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका का प्रावधान किया गया है। पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट संबंधी प्रमाण पत्र सहमत तौर-तरीकों के आधार पर स्थानीय प्राधिकरणों को जारी किया जा सकता है। स्थानीय प्राधिकारी इसके बदले में अपने ईपीआर दायित्वों को पूरा करने के लिए पीआईबीओ के साथ ईपीआर प्रमाणपत्रों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

पीआईबीओ अपने ईपीआर दायित्व को पूरा करते हुए प्लास्टिक की श्रेणी के आधार पर प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण संबंधी अवसरंचना का विकास कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न कार्यान्वयन तौर-तरीके शामिल हो सकते हैं।

ईपीआर दायित्वों को पूरा करने के लिए पीआईबीओ शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों या अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले तीसरे पक्ष जैसी संस्थाओं से प्लास्टिक के संग्रहण का प्रस्ताव कर सकते हैं और उन सभी संस्थाओं से प्लास्टिक के संग्रहण की व्यवस्था कर सकते हैं जिन्होंने उस प्रस्ताव का उपयोग किया है। इसके अलावा, पीआईबीओ ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत संग्रहण और परिवहन के लिए आवश्यक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं।

ईपीआर विनियम पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं, जिनके माध्यम से ईपीआर प्रमाणपत्र तैयार किए जाते हैं और पीआईबीओ के दायित्वों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, को मान्यता देते हैं जो अनौपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के कार्य को प्रोत्साहित करते हैं।

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, अपशिष्ट टायर और प्रयुक्त तेल के पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर की बाध्यता में औपचारिक/अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों को शामिल करके अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। स्थानीय प्राधिकरण, प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी ईपीआर दिशानिर्देशों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग की ईपीआर व्यवस्था के तहत भाग ले सकते हैं।

इसके अलावा, ईपीआर दिशानिर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग की पुनचक्रण क्षमता बढ़ाने सहित सतत प्लास्टिक पैकेजिंग को भी बढ़ावा देते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पहले से ही प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, अपशिष्ट टायर और प्रयुक्त तेल के लिए कार्यशील केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल हैं। पीआईबीओ का ईपीआर लक्ष्य और पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए ईपीआर प्रमाणपत्रों की उपलब्धता का विवरण केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टलों के डैशबर्ड पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की यादृच्छिक संपरीक्षा की थी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की यादृच्छिक संपरीक्षा के दौरान अनियमितताएं पाई गई थीं। तदनुसार, सीपीसीबी ने दिनांक 26.10.2023 को एसपीसीबी को निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार नहीं किए गए ईपीआर प्रमाणपत्रों की मात्रा के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाने और उल्लंघन करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं (पीडब्ल्यूपी) के विरुद्ध लागू कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश जारी किए थे। सभी एसपीसीबी/पीसीसी को आवश्यक कार्रवाई करने और पीडब्यूपी द्वारा तैयार किए गए ईपीआर प्रमाणपत्र निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करने तथा उल्लंघन करने वाले पीडब्ल्यूपी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, प्रयुक्त तेल के साथ-साथ ईपीआर लागू होने वाले अपशिष्ट टायर संबंधी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत ईपीआर के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और अपेक्षा के अनुसार कठिनाइयों को दूर करने के लिए संचालन/कार्यान्वयन समिति के गठन का प्रावधान है।

****